इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 04/09/2017 को जनहित याचिका संख्या 50717/14 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन हेतु दिनांक 03/09/2017 को जिलाधिकारी इलाहाबाद की अध्यक्षता में हुई बैंठक में लिए गये निर्णयानुसार इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,नगर निगम,जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर जार्जटाउन व टैगोर टाउन में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए जार्जटाउन थाना के पास सी0वाई0 चिन्तामणि रोड पर स्थित तालाब (आराजी संख्या 408) के लगभग क्षेत्रफल 4000 वर्ग मी0 पर से कुल 75 अतिक्रमणों को हटवाया गया तथा स्थल पर तालाब की तहसील व नगर निगम द्वारा सयुक्त रूप से कर चिन्हीकरण किया गया एवं उस पर अन्य स्थाई अवशेष अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। स्थल पर उपस्थित होकर सम्बन्धित लोगो द्वारा कतिपय स्थगनादेश प्राप्त कराये गये।

इस कार्यवाही में प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार कनौजिया, एडीए से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय एवं जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार, सयुक्त नगर आयुक्त श्री मृत्युन्जय यादव, कर अधीक्षक श्री लालमणि यादव तथा थानाअध्यक्ष जार्जटाउन सहित पुलिस, व पी0ए0सी0 बल तथा एडीए पुलिस व प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसके अतिरिक्त अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध जोन संख्या 05 के जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के क्षेत्र में 01 चालन की कार्यवाही की गयी।

(ए0के0पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क